भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1890
11 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

सेल द्वारा भूमि अंतरण

1890. श्री विजय बघेल:
क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भिलाई स्टील संयंत्र की भूमि को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) की 152वीं और 236वीं बोर्ड बैठकों के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को अंतरित किया गया है;

(ख) क्या यहां की श्रमिक कॉलोनी क्षेत्रों में जीवन की बुनियादी सुविधाओं के विकास की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा न होने से वहां की जनसंख्या वर्ष 1990 से आज तक बहुत तेजी से बढ़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भिलाई के स्वामित्व वाली पूरे बस्ती क्षेत्र की भूमि को राज्य सरकार को अंतरित किया जाना चाहिए क्योंकि आम जनता को पट्टा वितरण, प्रधानमंत्री आवास आदि जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है; और

(घ) सरकार को नवई बस्ती, मारोदा आदि जैसे घनी श्रमिक कॉलोनी के पूरे बस्ती क्षेत्र की भूमि को नगरपालिका निगम रिसाली को कब तक अंतरित कर दिया जाएगा तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (घ): भिलाई इस्पात संयंत्र से राज्य सरकार को 290.26 एकड़ और 151.46 एकड़ भूमि (जिसमें नवई बस्ती और मारोदा शामिल हैं) के हस्तांतरण के प्रस्ताव पर सेल बोर्ड की 152वीं और 236वीं बैठक में सहमति व्यक्त की गई थी।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए उपर्युक्त भूमि पार्सल के संबंध में सेल द्वारा भूमि हस्तांतरण संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।

*****